स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 157, दिनांक 20–05–2025

अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शस्त्रो की तस्करी करने वाले गिरोह का 01 सदस्य 05 अदद सेमी ऑटोमैटिक पिस्टल के साथ जनपद प्रयागराज से गिरफ्तार।

दिनांक 19–05–2025 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शस्त्रो की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 सदस्य को 05 अदद सेमी ऑटोमैटिक पिस्टल के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1– आलोक सिंह पुत्र विजय सिंह, निवासी वीरापुर, कमलापुर, थाना सोरांव, जनपद प्रयागराज।

बरामदगीः

1– 05 अदद सेमी ऑटोमैटिक पिस्टल .32 बोर
2– 01 अदद मोबाइल फोन
3– 01 अदद आधार कार्ड की छायाप्रति।
4– 200/– रु0 नगद

गिरफ्तारी का स्थान दिनांकः

मिंटो पार्क के सामने पुल के नीचे, थाना कीड़गंज, जनपद प्रयागराज। दिनांक 19.05.2025

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से उ0प्र0 में अवैध शस्त्रो की तस्करी करने वाले अपराधियों/तस्करों के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई अयोध्या द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में उप निरीक्षक जावेद आलम सिद्दीकी के नेतृत्व में मु0आ0 अंजनी कुमार यादव, मु0आ0 नीरज सिंह, मु0आ0 रजनीश कुमार सिंह, मु0आ0 विमलेन्द्र मोहन मिश्रा एसटीएफ फील्ड इकाई अयोध्या की टीम जनपद प्रयागराज में भ्रमणशील थी। इस दौरान विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली कि बुरहानपुर (म0प्र0) से अवैध पिस्टल लाकर उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों में सप्लाई करने वाले गिरोह का सदस्य मिंटो पार्क के पास मौजूद है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा मिंटो पार्क के सामने से अभियुक्त आलोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि उसका अन्तर्राज्यीय स्तर पर एक संगठित गिरोह है, जो अवैध शस्त्रो की तस्करी करता है। वह बुरहानपुर, मध्यप्रदेश जहॉ पर अवैध रूप से पिस्टलों का निर्माण किया जाता है, से प्रति पिस्टल रू0 25 हजार में खरीदकर उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों तथा अन्य प्रदेशों में 40 से 50 हजार रूपये प्रति पिस्टल के हिसाब से बेचता है। पूर्व में भी यह कई बार अवैध पिस्टल लाकर सप्लाई कर चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कीड़गंज, पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज में मु0अ0सं0 97/2025 धारा 3/5/25(8) आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।